न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 10/24 सन् 2024
जीसीएमएस संख्या 2024/85

बउनवानीः—

1. राजन्ती पुत्री लच्छा मीना निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. केशन्ती पुत्री लच्छा मीना निवासी घुडासी तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. आशा पुत्री शिवराम मीना निवासी रोहित तह0 उनियारा जिला टोंक

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र सुरजन मीना निवासी कावड तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. रमेश पुत्र लच्छा मीना निवासी कावड तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
3. कमलेश पुत्र लच्छा मीना निवासी कावड तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
4. राजमल पुत्र लच्छा मीना निवासी कावड तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
5. लेण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 19/2022 अन्तर्गत धारा 183बी, मे पारित आदेश दिनांक 7.11.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः— 1. श्री हरिमोहन जाटा वकील अपीलान्ट,
2. श्री अब्दुल बहाव, वकील रेस्पो. संख्या

—: निर्णय :— दिनांक 18.12.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवडा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2024 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 11.9.2022 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि वाके ग्राम कावड की आराजी ख0न0 1292 करबा 0.2600 है0 जो पैत्रृक सम्पति है उसपर रेस्पो. संख्या एक ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था,जमाबन्दी मे खातेदारी अपीलान्ट की है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीन 183 बी के तहत तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष पेश किया जिसे विधि के प्रावधानो का गलत अर्थ निकाल कर दोनो पक्षकारो को मीना जाति का होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि धारा 183 मे ऐसा कोई प्रतिबंध नही है। अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति को विशेष महत्व दिया है आपस में अवैध कब्जे को हटाने मे कोई प्रतिबंध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 लच्छा द्वारा कोई इकरारनामा रेस्पो0 संख्या एक के नाम होना मानकर अहम भूल की है तथाकथित इकरारनामा,2005 का होना बताया है एवं लच्छा का निधन वर्ष 2010 मे हो गया तब तक इकरारनामा रजिस्टर्ड नही कराया गया इसका कोई कारण नही बताया गया है। स्व0 लच्छा द्वारा लच्छा के वारिसान से भी विक्रयपत्र रजिस्टर्ड करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। इसके बावजूद भी योग्य अदालत द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर विश्वास कर अहम भूल की क्योकि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर विश्वास करना विधिक प्रावधानो के खिलाफ है। विवादित आराजी के चारो ओर अपीलान्ट की ही भूमि है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 संख्या 2,3,4 ने सदभावना पूर्वक अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया है अपीलान्ट श्रीमति आशा देवी पुत्री शिवराम का तथाकथित इकरारनामे से कोई संबंध नही है अपीलान्ट आशा का ख0न0 1292 मे हिस्सा 1/14 अलग से है जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवरण न देकर अहम भूल की गयी है। यह तर्क भी कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी सुसराल से पीहर आने पर अपनी आराजी मे फसल बोने पर विचार करने पर रेस्पो0 संख्या 2,3,4 ने निर्णय की जानकारी दिनांक 23.6.2024 को दी जाने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

.....(1).....

(कालना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील संख्या 10/2024 उनवानी राजन्ती बनाम प्यारे लाल वगै.)

वकील रेस्पो. एक द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे 183 बी का प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है क्योकि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1292 रकबा 0.26 है0 को अपीलान्ट के पिता लच्छा पुत्र भूरया मीना द्वारा मुझ अप्रार्थी को दिनांक 9.7.2005 को 60,000/–रू मे विक्रय किया गया था जिसका एक इकरारनामा बैचान सौ रूपये के स्टाम्प पर दिनरंक 9.7.2005 को श्री मुकेश कुमार सैनी डीड राईटर से तहरीर व तकमील करवाकर अपनी अंगूँठा निशानी की और बतौर गवाही माधोलाल मीना व प्रार्थीगण रमेश, राजमल, कमलेश ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा उक्त इकरारनामा को ओर पुख्ता करने की गरज से नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर मुझ अप्रार्थी को सुपर्द किया तभी से मे रेस्पो. अपनी खरीद शुद्वा भूमि पर काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.6.2022 मे भी विवादित भूमि ख0न0 1292 रकबा 0.26 है0 पर मुझ अप्रार्थी का कब्जा काश्त दर्शाया गया है। उक्त विवादित भूमि को लेकर अपीलान्ट द्वारा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 188,92 ए आरटीएक्ट के तहत मु0न0 22/2015 उनवानी रमेश बनाम प्यारेलाल वगै. न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे दिनांक 25.5.2015 को पेश कर दिनांक 25.9.2019 को विड्रा कर खारिज करवा लिया। इसके अतिरिक्त इकरारनामा बैचान खरीद के संबंध में मुझ रेस्पो.के विरूद्व जरिये इस्तगासा एफआईआर संख्या 210/2015 थाना चौथ का बरवाडा मे तहत दफा 447,427,323,341 आई.पी.सी. मे दर्ज करवायी जिसपर अनुसंधान अधिकारी ने सम्पूर्ण अनुसंधान कर उक्त प्रकरण में एफ.आर संख्या 67/2015 किता कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहा प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 2.12.2016 को स्वीकार हो चुकी है। इस प्रकार विवादित भूमि पर मुझ रेस्पो0 का कोई जबरन कब्जा नही होकर बोनाफाईड केता की हैसियत से कब्जा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा निवेदन किया।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि वाके ग्राम कावड का ख0न0 1292 रकबा 0.26 है0 पर से रेस्पो0 को बेदखल करने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसलिए खारिज किया गया है क्योकि उक्त विवादित भूमि रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट के पिता लच्छा पुत्र भूरया मीना द्वारा रेस्पो0 को दिनांक 9.7.2005 को 60,000/–रू मे विक्रय की गयी है जिसके आधार पर रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त माना गया है। उक्त विवादित भूमि के कब्जे को लेकर अपीलान्ट द्वारा एफआईआर संख्या 210/2015 थाना चौथ का बरवाडा मे तहत दफा 447,427,323,341 आई.पी.सी. मे दर्ज करवायी थी जिसमे अनुसंधान अधिकारी ने सम्पूर्ण अनुसंधान कर उक्त प्रकरण में एफ.आर संख्या 67/2015 किता कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहा प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 2.12.2016 को स्वीकार हुई है जिसमे उक्त विक्रय इकरारनामा दिनांक 9.7.2005 को आधार माना गया है। इसके अतिरिक्त दोनो पक्षकार मीना जाति से है इसलिए भी उक्त प्रकरण धारा 183 बी का नही बनता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner